कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2012/ 176 दिनांक :: 29 अक्टूबर, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लियेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 के संबंध में जारी किये गये कार्यवाही विवरण को अनुमोदन हेतु रखा गया। विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया एवं विभागवार गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर भी विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त पुलिस मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने बैठक में लिखित रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि यातायात के सुचारू संचालन हेतु शहर के भीतरी क्षेत्र में भी यातायात कर्मचारी लगाये गये हैं और वन–वे व्यवस्था खत्म की गयी है। वाहनों का प्रदूषण रोकने लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के द्वारा गठित उड़नदस्ते के साथ भी यातायात पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया है। नगर निगम द्वारा 15 बी.आर.टी.एस. मार्ग एवं अन्य स्थानों पर से हटाये गये अतिक्रमणों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा भी लिखित अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्देश दिये गये कि बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना निर्धारित समयावधि में निश्चित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: शहर के प्रमुख अर्थात् 15 बी.आर.टी.एस. सडक मार्गो पर यातायात सुचारू किये जाने के संबंध में।

गत बैठक में शहर के प्रमुख 15 बी.आर.टी.एस. सड़क मार्गो पर सुचारू यातायात की दृष्टि से सड़क मरम्मत व कारपेटिंग, यातायात में अवरोधक बने निर्माणों की पहचान व हटाने, सफाई कार्य कराने एवं उक्त बिन्दुओं बाबत सतत् निगरानी व मोनिटरिंग के लिए अभियन्तागण रूटवार नोडल अभियन्ता नियुक्त किया गया।

बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 15 प्रमुख बी.आर.टी.एस. सडक मार्ग के संबंध में नियुक्त नोडल अभियन्ताओं द्वारा रूटवार रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गयी। रूटवार निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

क्र. सं.	बी.आर. टी.एस. रूट संख्या	रूट का संक्षिप्त विवरण	बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लिये गये निर्णय का विवरण
1–	1	जोजरी नदी से रीको सेज	प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाईपास से भैरूजी मंदिर मधुबन में 2–3 स्थानों पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पैच रिपेयर किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण रूट पर सडक मरम्मत का कार्य हो चुका है। विभिन्न स्थानों पर लगे सडक डिवाईडरों पर कलर पेंटिंग की आवश्यकता बतायी गयी है।

			आयुक्त महोदय ने आवासन मण्डल के उप आवासन आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता कर आगामी दो दिवस में उक्त पैच मरम्मत कराने के निर्देश प्रदान किये।
2–	2	कालीबेरी से जे.ई.आर.सी. (झालामण्ड)	इस रूट में कालीबेरी रिडिया फांटा श्रद्धा इंजिनियरिंग के सामने तथा बोम्बे मोटर से पांचवी रोड के बीच सडक क्षतिग्रत बतायी गयी है। बोम्बे मोटर से पांचवी रोड के मध्य सडक पर पैच मरम्मत का कार्य प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता जोन–दक्षिण–बी द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार कालीबेरी रिडिया फांटा के पास नगर निगम जे.सी.बी. लगाकर रास्ते में आ रहे पानी के नाले को जोडेंगे व नाले की सफाई करायेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 तक उक्त स्थान पर डामर कार्य पूर्ण करवाया जावे। दिनांक 25 से 30 मीटर क्षेत्र में सी.सी. सडक का कार्य किया जाना है। सी.सी. सउक कार्य भी शीघ्र शुरू करवाया जावे। इसी प्रकार महेश हॉस्टल वाली गली के बाहर सागर इंजिनियरिंग के बाहर, हाजी मोटर वाली गली के बाहर व डालडा बिल्डिंग के पास पेच रिपेयर बाकी होना बताया। बैठक में उक्त पैच रिपेयर दिनांक 27 अक्टूबर, 2012 तक कराने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जोन–दक्षिण–बी प्राधिकरण को निर्देश दिये।
3–	3	बनाड से चौपासनी	इस रूट पर आर्मी तिराहे के पास पैच कार्य बाकी है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण दिभाग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण करवाया जावे। इसी प्रकार रसाला रोड ओवरब्रिज से आगे आर्मी तिराहे तक का पैच मरम्मत कार्य अधिशाषी अभियन्ता–सिटी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इसके अतिरिक्त सडक मार्ग दुरूस्त पाया गया।
4–	4	मण्डोर से सालावास	उक्त रूट के संबंध में नोडल अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। श्री राकेश परिहार, अधिशाषी अभियन्ता अवकाश पर है। अतः श्री आलोक मालवीय, अधिशाषी अभियन्ता को उक्त रूट का भ्रमण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये।
5–	5	चौपासनी से औसियां फांटा	उक्त रूट पर सुन्दर हिल बालाजी से चौपासनी व बोम्बे मोटर चौराहा पर सडक मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जावेगा। इसी प्रकार गोकुल जी की प्याऊ वाले सडक मार्ग पर सेन्ट्रल स्कूल के सामने, मौसम विभाग के सामने, 12वीं रोड से जलजोग चौराहा पर नाले का काम एवं भदवासिया कृषि मण्डी से भदवासिया वाली फाटक पर पैच मरम्मत कराना शेष है जो प्राधिकरण के संबंधित अभियन्ता द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण करवाया जावे। अन्य स्थानों पर नोडल अभियन्ता द्वारा सही स्थिति पायी गयी।
6–	6	बनाड से कालीबेरी	उक्त सडक मार्ग पर भौमिया जी का थान के पास लीकेज के कारण, कालीबेरी चौराहे पर कालीबेरी भाटी स्टोन के सामने व आर.के.सी. के पास वाली रोड पर रोड कट के कारण सडक मरम्मत की आवश्यकता है। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक उक्त कार्य करायें। इसी प्रकार राजा हुण्डई प्रतापनगर के सामने पानी भरे होने के कारण यातायात में अवरोध हो रहा है। नगर निगम उक्त पानी के निकासी की व्यवस्था दिनांक 28 अक्टूबर, 2012

			तक सुनिश्चित करे।
7–	7	औसियां फांटा से रोटरी चौराहा	गोकुल जी की प्याऊ से शिविर लाईन नगर निगम द्वारा डाली गयी है लेकिन मैनहॉल पर तथा अन्य स्थानों पर पैच मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देश दिये कि उक्त स्थानों पर डामरीकरण करवाकर अवगत करावें। इसी प्रकार नारी निकेतन के पास रोड कट है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग दुरूस्त करे।
8–	8	चौपासनी गांव से रोटरी चौराहा	चौपासनी गांव में कुछ स्थान, आखलिया चौराहा पर व भट्टी की बावडी के सामने पैच रिपेयर की आवश्यकता बतायी गयी है। अधिशाषी अभियन्ता– सिटी, सार्वजनिक निर्माण विभाग दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक उक्त कार्य पूर्ण कर अवगत करायें।
9–	9	मण्डोर से रोटरी चौराहा	उक्त रूट पर मण्डोर से पावटा चौराहा पर सर्किट हाऊस से भाटी चौराहा से भास्कर चौराहा और खतरनाक पुलिया और रोटरी चौराहा आदि सम्मिलित है, संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम श्री सुखराम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सडक मार्ग पर पैच कार्य व सडक मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है।
10–	10	सालावास से रोटरी चौराहा	उक्त रूट पर तनावडा फांटे के पास जाखड प्रोपर्टी डीजल के सामने महालक्ष्मी धर्मकांटे के सामने, आलिशान प्याऊ के सामने, कृष्णा ऑटो रिपेयर के सामने, फूल कॉटन मिल के सामने, प्रियंका टेन्ट हाऊस के सामने, सांखला उद्योग व प्रियंका टेन्ट हाऊस के बीच पैच कार्य अवशेष है। इसी प्रकार बी.आर.ओ. बाईपास पर स्थित सर्कल के चारों ओर सडक दुरूस्त नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिये कि दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त सडक मरम्मत कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कराकर रिपोर्ट पेश करें। इसी प्रकार फायर स्टेशन बासनी, श्रीराम दाल बाटी रीको क्षेत्र व बासनी चौराहे पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने पैच रिपेयर की आवश्यकता है। इस संबंध में रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक को दूरभाष पर निर्देश दिये कि उक्त स्थान पर सडक की मरम्मत कार्य दिनांक 30 अक्टॅबर, 2012 तक पूर्ण कर अवगत करायेंगे। इसी प्रकार बासनी ओवरब्रिज दाऊजी की होटल के सामने और न्यू पॉवर हाऊस के सामने मोड व चौराहे पर पैच मरम्मत का कार्य प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता जोन–दक्षिण–बी द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कराकर अवगत कराया जावे।
11–	11	बनाड से रोटरी चौराहा	पावटा चौराहा से कालवी प्याऊ के बीच रसाला रोड पुलिये के नीचे उतर कर घुमटी के पास पेच मरम्मत कार्य बाकी है, अधिशाषी अभियन्ता, नगर, सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त कार्य दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण करवाकर अवगत करावें।
12–	12	कालीबेरी से रोटरी चौराहा	अधिशाषी अभियन्ता श्री पेडीवाल ने अवगत कराया कि उक्त रूट पर कालीबेरी से आखलिया चौराहा से बोम्बे मोटर से 12वीं रोड चौराहा से कलपतरू सिनेमा से शास्त्रीसर्कल से मथुरादास माथुर अस्पताल के सामने से रोटरी चौराहा सडक मार्ग आता है। उक्त मार्ग पर सडक मरम्मत कार्य की आवश्यकता नहीं है।

13–	13	महामंदिर चौराहा से रोटरी चौराहा	न्यू गर्वमेंट स्कूल के सामने, सिवांचीगेट चौराहा पर तथा शास्त्रीसर्कल पुलिस थाना से न्यू पॉवर हाऊस तक पैच मरम्मत कार्य आवश्यक है, अधिशाषी अभियन्ता शहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त पैच कार्य दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कराकर अवगत करायें।
14–	14	आर.टी.ओ. कार्यालय से रोटरी चौराहा	बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के सामने और शास्त्रीनगर पुलिस स्टेशन के सामने अवशेष पैच रिपेयर कार्य प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता जोन पश्चिम दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
15–	15	बनाड से बोरानाडा	5वीं रोड चौराहा पर टैक्सी स्टेण्ड के सामने नाला मरम्मत, रसाला रोड पर मैन हॉल के ढक्कन सही करना, बस स्टेण्ड के सामने मरम्मत कार्य अवशेष है। उक्त कार्य दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देश दिये।

बैठक में अन्त में सभी नोडल अधिशाषी अभियन्तागण को निर्देश दिये कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 से पूर्व पुनः उक्त सडक मार्ग का नियमित रूप से भ्रमण करें एवं दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रत्येक अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उनके अधीनस्थ सडक मार्ग के दुरूस्त हालत में होने एवं मरम्मत कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने की लिखित रिपोर्ट मय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की जावे। निदेशक–अभियांत्रिक, प्राधिकरण उक्त प्रमाण–पत्र का प्रारूप तेयार कर सभी अधिशाषी अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे एवं सभी विभाग के अभियन्ताओं को उक्त रिपोर्ट व प्रमाण–पत्र संकलित कर आयुक्त, प्राधिकरण को पेश करें।

प्रस्ताव संख्या 3 :: यातायात संकेतकों की स्थापना व कियान्वयन।

बैठक में अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया कि पहले से 8 स्थान यथा नई सडक, सोजतीगेट, शनिश्चर जी का थान, शास्त्रीनगर पुलिस थाने के सामने, काजरी मोड, सरस्वती नगर मोड, अमृतादेवी चौराहा एवं एयरफोर्स ऑफिसर मैस के सामने तिराहे पर स्थापित यातायात सिग्नल लाईट सुचारू रूप से चल रही है। नवीन स्वीकृत स्थानों में से पावटा सी रोड तिराहा, चीरघर तिराहा व जालोरीगेट चौराहा पर यातायात संकेतक लगाये जा चुके हैं, जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 से प्रारम्भ किया जावेगा। इसके अलावा शेष 5 स्थान यथा पावटा चौराहा, जलजोग चौराहा, 5वीं रोड चौराहा, 12वीं रोड चौराहा व श्रीराम एक्सीलेंसी होटल के सामने दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 तक यातायात सिग्नल लाईट स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा। बैठक में निर्देश दिये कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 तक समस्त यातायात सिग्नल लाईट कार्यशील अवस्था में लायी जावे तथा डी.आर.एम. कार्यालय के सामने वाले तिराहे पर प्रस्तावित आर.यू.बी. के एलाईनमेंट को ध्यान में रखते हुए सिग्नल लाईट लगायी जाने का कार्य करवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: पार्किंग स्थलों की सफाई, लाईनिंग एवं मरम्मत के संबंध में।

सहायक पुलिस आयुक्त श्री जीवन खां द्वारा बताया गया कि चिन्हित 66 पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया है और पार्किंग स्थलों पर बोर्ड लगाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, मरम्मत कार्य व लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। बैठक में निर्देश दिये कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 तक उक्त सभी कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कराये जाकर प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता श्री अरविन्द माथुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इसके अतिरिक्त सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा विभिन्न सडक मार्गों पर सफेद लाईन व जेबरा कॉसिंग लाईन लगाने के लिए 52 स्थानों की सूची प्रस्तुत की। उक्त सूची अधिशाषी अभियन्ता श्री अरविन्द माथुर को दी जाकर निर्देश दिये कि उक्त लाईनिंग कार्य दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कराया जावे। पुलिस

उपायुक्त यातायात को निर्देश दिये कि वाहन संबंधित पार्किंग स्थल पर ही पार्क कराया जाना सुनिश्चित करें और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पार्क वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर अवगत करावें।

प्रस्ताव संख्या 5 :: वाहन प्रदूषण की जांच के संबंध में।

बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 1 अगस्त, 2012 से 11 अक्टूबर, 2012 तक चेकिंग के दौरान 592 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी व 206 वाहनों को सीज किया गया। इसी प्रकार प्रदूषण फैलाने वाले 93 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 से परिवहन विभाग व यातायात पुलिस विभाग की संयुक्त चैकिंग हेतु 4 टीमों का गठन कर कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त पुलिस–यातायात द्वारा यह भी अवगत कराया कि विभाग द्वारा माह जनवरी, 2012 से दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 तक 1252 वाहनों के चालान किये गये है। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये कि संयुक्त चैकिंग अभियान गम्भीरता से चलाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु रोड फर्निचर संबंधी कार्यों के संबंध में।

बैठक में उपायुक्त यातायात पुलिस ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये 15.00 लाख रूपये में से यातायात पुलिस द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त राशि में से पुरानी घुमटियों व बेरियर की मरम्मत व रंगरोगन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा टीन्टोमीटर (एक नग) बेटन टॉर्च (50 नग) फोल्डिंग बेरियर निर्माण, टू टायर बेरियर निर्माण तथा यातायात पुलिस कर्मचारियों के लिए फलोरोसेंट जैकेट, प्लास्टिक कोण, पोलूसन मास्क, दस्ताने व आस्तिन का सफेद कपडा कय करने के लिए कार्यादेश दिया जा चुका है। बैठक में डीजल स्मोक मीटर व सी.सी. टी.वी. कैमरों की मरम्मत तथा उच्च न्यायालय भवन में सुरक्षा हेतु घुमटियों के निर्माण हेतु उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा 6.40 लाख रूपये की राशि प्राधिकरण से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण कोष से उक्त राशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा निदेशक–वित्त, प्राधिकरण को उक्त राशि तत्काल यातायात पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

प्रस्ताव संख्या 7 :: सडक मार्ग, फुटपाथ एवं बरामदों से अतिकमण हटाना

गत बैठक में प्रदत्त सडक मार्ग, फुटपाथ एवं बरामदों से अतिकमण/अवरोध हटाने के संबंध में निर्देशों की पालना की समीक्षा की गयी। इसके पश्चात् निम्नलिखित स्थानों पर अतिकमण हटाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

कं. सं.	अतिकमण का विवरण	बैठक में प्रदत्त निर्देश
अ–	नगर निगम क्षेत्र में निर्मित विभिन्न बहुमंजिलीय भवनों विशेषकर बी.आर.टी.एस. रूटों पर के स्वीकृत नक्शे में निर्धारित पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन कराया जावे एवं पार्किंग स्थलों का अन्यथा उपयोग होने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जावे।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने बताया कि अब तक इस संबंध 240 इस्तगासे विभिन्न न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा पार्किंग के लिए स्वीकृत स्थलों का अन्य उपयोग करने पर सीजिंग की कार्यवाही करने के संबंध में वर्ष 2011 में नये नियम जारी किये गये हैं, उक्त नियमों के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल का अन्यथा उपयोग होने की स्थिति में सीजिंग

		की कार्यवाही की जावे।
ब–	जलजोग चौराहा से रावण का चबूतरा तक मुख्य सडक पर पार्किंग नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त स्थल पर निर्धारित पार्किंग स्थल के अलावा सडक मार्ग पर कोई भी वाहन पार्क नहीं हो इसकी सुनिश्चितता की जावे।
स–	सरदारपुरा सी रोड पर निर्मित एवं निर्माणाधीन विभिन्न बहुमंजिलीय भवनों के स्वामियों द्वारा पार्किंग स्थल के उपयोग के संबंध में भौतिक सत्यापन करवाया जावे एवं विपरित स्थिति पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावे।	बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि भौतिक सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। आगामी बैठक में रिपोर्ट पेश कर दी जावेगी।
द–	पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा से रिक्तिया भैरूजी चौराहा तक हाल ही में प्राधिकरण द्वारा सडक का चौडाईकरण किया गया है। उक्त मार्ग पर पार्किंग के लिए विकसित भूमि पर विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट व बहुमंजिलीय भवनों के मालिकों द्वारा अन्यथा उपयोग किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जावे।	बैठक में निर्देश दिये कि प्रदत्त निर्देशों की पालना कठोरता से कर अवगत करावें।
ई–	चिन्हित 15 बी.आर.टी.एस. मार्गों पर भवन निर्माण सामग्री, कचरा आदि हो तो जब्त किया जाकर संबंधित के विरूद्ध सार्वजनिक न्यूसेंस का मामला दर्ज कराते हुए कार्यवाही की जावे।	बैठक में निर्देश दिये कि प्रदत्त निर्देशों की पालना कठोरता से कर अवगत करावें।
प–	बहुमंजिलीय भवनों के मालिकों को लिखित में निर्देश जारी किये जावे कि वे पार्किंग व्यवस्था के लिए अपने स्तर पर गार्ड की नियुक्ति करें और वह गार्ड निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खडे कराया जाना सुनिश्चित करेगा।	बैठक में निर्देश दिये कि प्रदत्त निर्देशों की पालना कठोरता से कर अवगत करावें।
फ–	मोहनपुरा पुलिया पर कतिपय भवन मालिकों द्वारा पुलिया बनाकर सीधा रास्ता बना लिया है जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है तथा दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। अतः उक्त अवरोधों को हटाया जावे।	बैठक में निर्देश दिये कि प्रदत्त निर्देशों की पालना कठोरता से कर अवगत करावें।

बैठक में विभिन्न चौराहों/तिराहों पर यातायात में बाधक बन रहे बिजली व टेलीफोन खम्भों को चिन्हित करने के निर्देश यातायात पुलिस को दिये गए थे किन्तु ऐसी सूची बैठक में प्रस्तुत नहीं की गयी है। बैठक में उक्त सूची आगामी दो दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

बैठक में सुचारू यातायात में बाधक/अवरोध कचरा पात्रों को व्यवस्थित रूप से ऐसे स्थानों पर रखे जाने के निर्देश दिये गये जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को पुनः निर्देश दिये कि आगामी त्यौहारों की सीजन को देखते हुए प्रमुख बाजार एवं सडक मार्ग से निरन्तर अस्थायी अतिक्रमण/अवरोध हटाये जाने की कार्यवाही जारी रखी जावे एवं सुनिश्चित किया जावे कि दुकानों के बाहर पार्किंग के लिए

छोड़े गये स्थान का उपयोग वाहनों के पार्किंग के लिए ही हो। ऐसे स्थानों का दुकानदारों द्वारा सामान रखने के उपयोग किया जा रहा है तो विडियोग्राफी करवायी जाकर सामान जब्त किये जाने एवं जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में गठित विशेष दस्ते के द्वारा की गई दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्थान विद्युत प्रसारण लिमिटेड द्वारा की जा रही अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग के संबंध में विचार विमर्श

बैठक में अधीक्षण अभियन्ता श्री एम.सी. पुरोहित द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पूर्व में अवगत कराये अनुसार ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 11 केवी व 33 केवी की लाईनों को ए.पी.डी.आर.पी.योजनान्तर्गत 265.00 करोड रूपये राशि की लागत से भूमिगत केबलिंग में बदले जाने का कार्य करवाया जा रहा है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा पुराने कार्य सुचारू रूप से चल रहे हे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पुनः निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि अण्डरग्राउण्ड केबलिंग का कार्य करते समय जिन जिन विभागों की सडके हैं, उनसे तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, नगर निगम, जेडीए आदि से समन्वय रखकर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् खुदाई का कार्य किया जावे ताकि इन विभागों की बिछाई गयी लाईने, डाले गये पाईप क्षतिग्रस्त नहीं हो तथा आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पडे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: आवारा पशुओं के संबंध में।

गत बैठक में उपायुक्त–यातायात पुलिस द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर में रिजगा बैचने वालों तथा खरीददारों द्वारा रिजका पशुओं को खिलाने के लिए सडकों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फैंक देते हैं। जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। जिस पर गत बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम ऐसे रिजगा बैचने वालों को पाबंद करे कि वे रिजगा सडक व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फैंके तथा खरीददारों को भी नहीं फैंकने हेतु पाबंद करें तथा दान स्वरूप दिया गया रिजगा गऊशाला को भिजवाना सुनिश्चित करें। आवारा पशुओं को निरन्तर पकड कर गौशाला भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्राथमिकता के आधार पर नई सडक, सोजतीगेट, घण्टाघर, पावटा चौराहा व अन्य प्रमुख मार्गो व चौराहों से रात्रिकालीन गैंग द्वारा भी आवारा पशुओं को पकड़वाया जावे ताकि यातायात में भी अवरोध नहीं उत्पन्न हो।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: मुख्य सडकों पर पानी की पाईप लिकेज के संबंध में।

बैठक में विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं को निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि जहां जहां पर पानी की पाईप लाईन लिकेज के कारण सडक क्षतिग्रस्त हो रही है, वहां लिंकेज तुरन्त ठीक करवाया जावे तथा ऐसी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जावे जिससे मुख्य सडक पर पानी लिकेज होने से सडक क्षतिग्रस्त नहीं हो।

प्रस्ताव संख्या 11 :: धरना स्थल का चयन करने के संबंध में।

धरना स्थल के चयन के संबंध में गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसारश नगर निगम द्वारा धरना स्थल के रूप में महावीर उद्यान को वैकल्पिक स्थान के रूप में निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि इस संबंध में उपायुक्त–पुलिस व अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर से टिप्पणी ली जावे और प्रकरण आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: विभिन्न रूट्स को जाने वाली स्टेज केरीज बसों व कान्ट्रेक्ट केरिज बसों के बस स्टेण्ड के प्रस्तावित स्थलों के संबंध में।

विभिन्न रूट्स को जाने वाली स्टेज केरीज बसों व कान्ट्रेक्ट केरिज बसों के बस स्टेण्ड के प्रस्तावित स्थलों के संबंध में पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसकी प्रति सभी राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी। बैठक में बाद विचार विमर्श कर इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: सेटेलाईट बस स्टेण्ड के संबंध में।

शहर से निकलने वाली विभिन्न प्रमुख सडक मार्गो पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड एवं निजी बसों के सेटेलाईट बस स्टेण्ड हेतु स्थल चयन के निर्देश पूर्व बैठकों में दिये गये थे। इस संबंध में सचिव, प्राधिकरण ने अवगत कराया कि बाडमेर व जैसलमेर रूट को जाने वाली बसों के लिए सेटेलाईट बस स्टेण्ड के रूप में डी.पी.एस. चौराहे के पास स्थित ग्राम पंचायत पाल की रिक्त पड़ी आबादी भूमि जिसका रकबा लगभग 40 बीघा है, मौके पर उपलब्ध है। उक्त भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत पाल से विचार विमार्श कर बस स्टेण्ड की स्थापना के लिए किया जा सकता है। बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–दक्षिण एवं अधिशाषी अभियन्ता, जोन–दक्षिण–बी, प्राधिकरण इस संबंध में मौके की स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण कराकर ठोस प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार जयपुर रोड व भोपालगढ रोड की ओर जाने वाली बसों के सेटेलाईट बस स्टेण्ड के रूप में ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 122 की उपलब्ध भूमि जो प्राधिकरण के खाते मे दर्ज है एवं प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए योजना बनायी है, में से 5000 – 5000 वर्ग मीटर भूमि रोडवेज व प्राईवेट बस एसोसिएशन को नियमानुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पाली रोड पर विवेक विहार आवासीय योजना के नक्शे पर शताब्दी चौराहे के पास ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए प्रदर्शित भूमि पाली रूट की बसों के सेटेलाईट बस स्टेण्ड के स्थल के रूप में विकसित की जावे। इस हेतु निदेशक–अभियांत्रिक, प्राधिकरण आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/ 177 – 222 दिनांक :: 29 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर ।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।

3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
5. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
8. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
14. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
15. जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
16. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
17. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
18. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर।
19. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा/जोधपुर
20. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
21. मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
22. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
23. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
24. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
25. कमाण्डर, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, पावटा बी रोड, जोधपुर
26. अधिशाषी अभियन्ता–नगरवृत/विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
27. अधिशाषी अभियन्ता, ... (समस्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
28. नोडल अधिशाषी अभियन्ता ....
29. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
30. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
31. तहसीलदार, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
32. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
33. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को उक्त कार्यवाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने हेतु प्रेषित है।
34. --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट–1

दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री रतन लाहोटी, जोधपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री राहूल प्रकाश, उपायुक्त–पुलिस पूर्व, जोधपुर पुलिस कमिशनरेट, जोधपुर
2.	श्री रामजीवन मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
3.	श्री हरिप्रसाद पिपरलिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4.	श्री बृजेश कुमार चन्देलिया, अति. कलक्टर–तृतीय, जोधपुर
5.	श्री एम.एस. रावल, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री अभिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री महेन्द्रसिंह यादव, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री जुगलकिशोर पंवार, सचिव, जोधपुर डिस्ट्रीक्ट बस ऑनर्स एसोसिएशन, जोधपुर
9.	श्री टी.सी. छाजेड, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सर्कल, जोधपुर
10.	श्री के.एल. माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11.	श्री एम.सी. पुरोहित, अधीक्षण अभियन्ता, 400 केवीजीएसएस, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर
12.	श्री महेश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
13.	श्री प्रेमसुख शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता:, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
14.	श्री अशोक माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, डी–1, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
15.	श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सिटी डिविजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
16.	श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री सुखराम चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
18.	श्री एम.एल. कुमावत, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
19.	श्री वी.के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
20.	श्री करणीसिंह, सहायक आयुक्त पुलिस–यातायात, जोधपुर पुलिस कमिशनरेट, जोधपुर
21.	श्री जीवण खां, सहायक आयुक्त पुलिस–यातायात, जोधपुर पुलिस कमिशनरेट, जोधपुर
22.	श्री जी.आर. सांखला, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग डिविजन, जोधपुर
23.	श्री सम्पत मेघवाल, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
24.	श्री दीपक गुप्ता, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
25.	श्री आलोक मालवीय, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
26.	श्री कन्हैयालाल चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
27.	श्री लूणकरण पुरोहित, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय – विशेष आमंत्रित
28.	श्री के.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
29.	श्री योगेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
30.	श्री मोहनलाल शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
31.	श्री पंवार, अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर
32.	श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर